सर्टिफिकेट पिम प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

मॉड्यूल 12- जल उपभोक्ता समिति का वित्तीय प्रबंधन

विषय 12.3- जल उपभोक्ता समिति द्वारा वार्षिक बजट बनाना

विषय-12.3

जल उपभोक्ता समिति द्वारा वार्षिक बजट बनाना

मॉड्यूल-12 के विषय :

12.1 वित्तीय अभिलेखों का रखरखाव

12.2 जल उपभोक्ता समिति के वित्तीय स्रोत

12.3 जल उपभोक्ता समिति द्वारा वार्षिक बजट बनाना

12.4 जल उपभोक्ता समिति का वित्तीय ऑडिट

जल उपभोक्ता समिति द्वारा वार्षिक बजट बनाना

प्रत्येक वित्तीय वर्ष में जल उपभोक्ता समिति की प्रबंध समिति को, समिति की प्राक्कलित प्राप्तियों और व्यय को दर्शाते हुए आगामी वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रत्येक खरीफ फसल के पूर्व उसके संसाधनों पर आधारित अपना बजट तैयार करना चाहिए और उसे जल उपभोक्ता समिति के साधारण निकाय के समक्ष अनुमोदन के लिए रखना चाहिए।

जल उपभोक्ता समिति के द्वारा वार्षिक बजट बनाते समय निम्न बिन्दुओं का ध्यान रखना चाहिएः–

- आय के विभिन्न स्त्रोतो तथा व्यय का आकलन करने हेतू जल उपभोक्ता समिति द्वारा गत तीन वर्ष के आय व्यय के ब्यौरो का अवलोकन करना चाहिए।
- जल उपभोक्ता समिति की कार्यकारिणी द्वारा किसानों को साथ लेकर नहरी प्रणाली का ''**वाक थ्रु सर्वे**'' करना चाहिए तथा नहरी प्रणााली के सफल संचालन हेतू आवश्यक कार्यो की एक सूची तैयार की जानी चाहिए।
- ''**वाक थ्रु सर्वे**'' के पश्चात एक प्राथमिकता सूची तैयार की जानी चाहिए जिसमें नहर संचालन हेतू अति आवश्यक कार्यो का निर्माण आवश्यक हो तथा उन कार्यो की अलग सूची तैयार की जानी चाहिए जिन्हे दूसरी प्राथमिकता पर सम्पादित किए जा सके। इसी तरह उन कार्यो की पृथक से सूची बनाई जानी चाहिए जो नहरी प्रणाली के जिर्णोद्वार हेतू आवश्यक हो तथा जिन्हे बाद में सम्पादित किया जा सकें।
- तत्पश्चात कार्य कारिणी को आगामी वित्तीय वर्ष हेतू उपलब्ध राशि तथा आय बढाने के विभिन्न स्त्रोतों पर चर्चा कर जल उपभोक्ता समिति की आय बढाने के प्रयास करने चाहिए । वार्षिक आय बताते समय जल उपभोक्ता संगम की आय के स्त्रोत बढानें के विकल्पों पर चर्चा की जानी चाहिए। आय के स्त्रोत निम्नानुसार हो सकते है:–
    - विभिन्न सदस्यों से प्राप्त जल कर की राशि, चन्दा अथवा दान राशि।
    - कृषक संगठन के कार्यक्षेत्र में संगृहीत जल कर के अंश के रूप में राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान। केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा दिया गया प्रबन्धकीय अनुदान जिसमें कृषकों द्वारा अपना हिस्सा भी दिया गया हों ।
    - ऐसी अन्य निधियां जो राज्य या केन्द्र सरकार द्वारा कार्य के विकास के लिए मंजूर की जाए।
    - समिति को किसी भी संस्था अथवा निजी व्यक्तियों से प्राप्त दान, उपहार, इनाम, सहायता सहयोग या अनुग्रह राशि।
    - सरकार के अलावा किसी अन्य संस्था के समिति द्वारा कार्य कराने से प्राप्त सेवा शुल्क। समिति द्वारा सम्पादित किये जाने वाले लाभकारी वाणिज्यिक कियाकलापों से प्राप्त आय। समिति द्वारा ठेके पर किये गये कार्यो से आय।

- समिति के कार्य क्षेत्र के भीतर सिंचाई प्रणाली से सम्बन्धित सम्पतियो, संसाधनों अथवा विशिष्ट सेवाओं के माध्यम से प्राप्त आय। समिति के क्षेत्र में घास, पेड़ की पत्तिया, फल, उपज और सूखें पेड़ की लकड़ी झाडियों आदि की नीमाली से प्राप्त आय। माइनर के तटबन्धों, पार्श्वस्थ भूमियों/सेवा सड़कों आदि के उपयोग के लिए फीस उद्ग्रहण के द्वारा प्राप्त आय। समिति के कार्य क्षेत्र के भीतर गौशाला (डेयरी फार्म), कुक्कुटशाला (पोल्ट्री फार्म) एवं मछली पालन आदि खोलने से प्राप्त आय। कार्य क्षेत्र के भीतर जल में पैदा होने वाली फसलों जैसे सिघाडा, कमल ककडी, मछली पालन आदि के लिए प्रतियोगी नीलामी के माध्यम से वार्षिक पट्टा देने से प्राप्त आय।
- दोषी सदस्यों से वसूल की गई अर्थदण्ड की राशि।
- स्थाई जमा एवं बचत खाते पर मिलने वाले ब्याज की आय।
- समिति द्वारा अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने और अपने कृत्यों के पालन के लिए अपने स्तर पर (आमसभा द्वारा अनुमोदित) सिंचाई शुल्क बढ़ाने से प्राप्त अतिरिक्त आय।
- किसी अन्य स्त्रोत से प्राप्त राशि।

- आगामी वित्तीय वर्ष में होने वाली सम्भावित आय के आधार पर एक सूची तैयार की जानी चाहिए जिन कार्यो पर व्यय किया जा सकता है । व्यय किए जाने वाले कार्य निम्नानुसार हो सकते हैः–
  - लेखाकार, चौकिदार, सुरक्षागार्ड, अंकेक्षण इत्यादि पर व्यय।
  - जल मास्टर को दिये जाने वाला मेहनताना एवं लेखा सम्बन्धि रिकार्ड बनाने पर होने वाला खर्चा।
  - कार्यकारिणी, साधारण सभा की बैठक, सेमीनार, कार्यशाला, आम सभा, प्रशिक्षण आदि के चाय, पानी, किराया आदि पर होने वाला खर्चा।
  - स्टेशनरी, फर्नीचर, पानी, बिजली, ऑफिस का किराया, अखबार आदि।

- साधारण रखरखाव, जंगल एवं सिल्ट सफाई, कटों की भराई, बैको का सुद्ढीकरण, गेटो की आयलिंग, गेज प्लेटों की पेन्टिंग, पक्के कार्यो की मरम्मत इत्यादि।
- आकस्मिक रखरखाव, नहरों से पाईपिंग होना (नहर के बैक से रिसाव), नहरों के बैक का टूटना, नहरों के डोले टूटना इत्यादि।
- अति आवश्यक रखरखाव, नहरों पर क्रेस्ट बनाने का कार्य, फाल एवं क्रॉस रेलूलेटर का कार्य, मोधे पक्के करने का कार्य ।
- अन्य विविध खर्चे–आवश्यकता एवं नियमानुसार।

- तैयार वार्षिक बजट को जल उपभोक्ता समिति के साधारण निकाय के समक्ष अनुमोदन के लिए रखना चाहिए।

बजट का प्रारूप (उदाहरणार्थ) निम्नानुसार है :–

वार्षिक बजट का प्रारूप

जल उपभोक्ता समिति ----------

क्र.स.	विभिन्न संसाधनों से प्राप्त आय	अनुमानित राशि रू.
	कुल योग आय	
क्र.स.	विभिन्न कार्यो पर व्यय	अनुमानित राशि रू.
	कुल योग व्यय	
	शेष राशि	

जल उपभोक्ता समिति द्वारा तैयार बजट का उदाहरण निम्नानुसार है :–

वार्षिक बजट का प्रारूप वर्ष 2020–21 (उदाहरणार्थ)

क्र.स.	विभिन्न संसाधनों से प्राप्त आय	अनुमानित राशि रू.
1.	जल कर के अंश के रूप में राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान	25,000
2.	समिति के कार्यक्षेत्र के भीतर सिंचाई प्रणाली से संबंधित संसाधनों के माध्यम से प्राप्त आय।	1,500
3.	समिति क्षेत्र में घास, पेड की पत्तियां, फल उपज और सूखे पेड की लकड़ी आदि की नीलामी से प्राप्त आय।	2,000
4.	कार्यक्षेत्र के भीतर जल में पैदा होने वाली फसलों जैसे सिंघाडा, कमल, मछली पालन आदि की नीलामी/वार्षिक पट्टा देने से प्राप्त आय।	4,000
5.	सदस्यों से फीस का उद्ग्रहण एवं संग्रहण से प्राप्त आय।	2,000
6.	दोषी सदस्यों से वसूल की गई अर्थदण्ड की राशि	1,000
7.	स्थाई जमा एवं बचत खाते पर मिलने वाले ब्याज की राशि	500
	कुल योग	**36,000**
क्र.स.	**विभिन्न कार्यो पर व्यय**	**अनुमानित राशि रू.**
1	साधारण रखरखाव, जंगल एवं सिल्ट सफाई, कटों की भराई, बैको का सुद्ढीकरण, गेटो की आयलिंग, गेज प्लेटों की पेन्टिंग, पक्के कार्यो की मरम्मत इत्यादि।	8,000
2	आकस्मिक रखरखाव, नहरों से पाईपिंग होना (नहर के बैक से रिसाव), नहरों के बैक का टूटना, नहरों के डोले टूटना इत्यादि।	1,500
3	अति आवश्यक रखरखाव, नहरों पर क्रेस्ट बनाने का कार्य, फाल एवं क्रॉस रेलूलेटर का कार्य, मोधे पक्के करने का कार्य ।	13,000
4	जल मास्टर को दिये जाने वाला मेहनताना एवं लेखा सम्बन्धि रिकार्ड बनाना।	6,000
5	सेमीनार, कार्यशाला, आम सभा, प्रशिक्षण आदि के चाय, पानी, किराया आदि पर होने वाला खर्चा।	500
6	स्टेशनरी, फर्नीचर, ऑफिस, पानी, बिजली का किराया, अखबार आदि।	3,000
7	अन्य विविध खर्चे–आवश्यकता एवं नियमानुसार।	2,000
	कुल राशि	34,000
	शेष राशि	**36,000–34,000 =2,000**